जेसप एंड कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय की बिक्री

670. **प्रो॰ रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जेसप एंड कंपनी के मुख्य कार्यालय भवन नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय किसे और कितने में बेचा गया और इसे बेचे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सारी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स जेसप एंड कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय भवन को पश्चिम बंगाल सरकार को 27.20 करोड़ रुपये में बेचा गया है। भवन की बिक्री संबंधी कार्यवाही से बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा संस्वीकृत की गई कंपनी की पुनरुद्धार योजना को वित्तपोषित करना है।

(ग) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय भवन की बिक्री करने के प्रस्ताव को 19.2.1991 को इसके निदेशक मंडल ने अनुमोदित कर दिया था बाद में, इसे इसकी धारक कंपनी के निदेशक मंडल, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, शेयर धारकों ने वार्षिक आम बैठक में और सरकार तथा बी॰आई॰एफ॰आर॰ ने अनुमोदित कर दिया था। सरकार ने बिक्री संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक समिति का गठन किया था। 17.12.97 को सार्वजनिक नीलामी विफल हो गई, चूंकि, केवल एक ही बोली कर्ता आया था उसकी बोली बहुत कम थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की थी। सरकार का अनुमोदन लेने के बाद कंपनी और पश्चिम बंगाल सरकार ने 29.12.1998 को बिक्री करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।

Foreign Direct Investment

671. SHRI DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the likely inflow of Foreign Direct Investment into India during 1998-99; and

(b) how does this inflow compare with inflows during the preceding two years?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) The amount of FDI approved during the year 1998 is Rs. 30814 crore and the actual inflow during the year is Rs. 13320 crore. The actual inflow during the preceding two years i.e. 1996 and 1997 are respectively Rs. 10389 crore and Rs. 16425 crore against the approved FDI of Rs. 36147 crore during 1996 and Rs. 54891 during 1997.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

672. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत निवेश की तुलना में वास्तविक निवेश का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदकर इन्हें अपने अधिकार में ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के कितने मामलों का पता चला है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) महोदय, जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1998 तक 181391.55 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित किया गया है। इसकी तुलना में देश में अन्तः प्रवाह के रूप में 53057.51 करोड़ रुपये पहले ही आ चुका है, जो लगभग 29.3% है। अन्तप्रवाह और अनुमोदनों के बीच अन्तर अनुमोदित परियोजनाओं की अलग-अलग परिपक्वता अवधि के कारण है। विद्युत, दूरसंचार, अवसंरचना, आदि जैसी बड़ी परियोजनाओं में अन्तप्रवाह की प्राप्ति में अधिक विलंब हुआ है, जिनमें परिपक्वता अवधि अधिक होती है और निधियों का अन्तःप्रवाह परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न चरणों में होता है।

(ग) से (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार किसी विदेशी कंपनी द्वारा किसी मौजूदा भारतीय कंपनी में पूंजी लगाने संबंधी प्रस्ताव के लिए एफ॰आई॰पी॰बी॰/सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाये आवश्यक होता है। शेयरों के अन्तरण हेतु अधिग्रहण संबंधी प्रस्तावों पर